प्रमुख मुद्दे	वर्तमान स्थिति
5. लघु उद्योग में अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा ईक्विटी भागीदारी जो कुल शेयर पूंजी के 24% से अधिक नहीं होगी ।	शीघ्र ही संसद के दोनों सभा पटलों पर एक अधिसूचना रखी जाएगी ।
6. लघु उद्योगों के लिए एकीकृत अवस्थापनापरक विकास योजना ।	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने हेतु निधि आवंटित कर दी गई है ।
7. अति लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक पैकेज ।	अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
8. सीमित भागीदारी अधिनियम की शुरूआत ।	विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य विभाग में सक्रिय रूप से उनके विचाराधीन है ।
9. लघु उद्योग बिलों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु कानून ।	कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की संभावना है ।
10. बाजार संवर्धन सहकारिता, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं, विशेषज्ञता प्राप्त अन्य सार्वजनिक व्यावसायिक विपणन अभिकरणों तथा संघ के जरिए किया जाएगा जिसके लिए यथा आवश्यक प्रोत्साहन दिए जाएंगे ।	इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि यदि लघु औद्योगिक एकक एन एस आई सी अथवा राज्य लघु उद्योग विकास निगम के सामान्य ब्रान्ड नामों से अपने उत्पाद बेचते हैं तो भी उन्हें उत्पाद शुल्क में मिलने वाली रियायतें मिलती रहेंगी ।
11. नियमों तथा पद्धतियों का सरलीकरण ।	(i) कुछ मदों के लघु उद्योग में निर्माण पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है ।
	(ii) इलैक्ट्रोनिक मदों के निर्माण के लिए एक लघु औद्योगिक एकक के पंजीकरण के लिए अनेक समितियों के पास अनुमोदन की आवश्यकता होती थी । ऐसी सभी समितियां भंग कर दी गई हैं ।

Industrial Growth Centres in Karnataka

*156. SHRI J. P. JAVALI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Karnataka Government has recently submitted three projects on Industrial Growth Centres;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) by when these projects are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) to (c) Under the Growth Centre Scheme, Karnataka has been allotted three growth centres. These would be located in the districts of Dharwad, Hassan and Raichur. The Project Reports of these centres have already been approved and a sum of Rs. 2 crores each has been released by way of central assistance. The scheme would be implemented during the Eighth Five Year Plan Period.

Export of processed sea foods

*157. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether there is any plan under Government's consideration to export only processed sea foods instead of frozen items;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government would consider exporting only processed food as we have enough labour force and could earn more foreign exchange?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) Although processed food realises better price in export market, traditional export of marine products from India is mostly in the frozen and fresh conditions. While there is no proposal to limit exports only to processed sea foods instead of frozen sea foods,